साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. 40109BR2012SGC018890

5004

संकल्प संख्या–II/SB/ Magadh-Alleg-11914/2025...685.../ दिनांक,...18/08/26.../

श्री संजीत कुमार दूबे, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01, गयाजी सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01 आरा के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए पत्रांक 774 दिनांक 26.11.2021 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया:–

विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0 प्रमंडल, गया के पत्रांक 480 दिनांक 28.11.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 13.11.2020 को उनके कार्यालय कक्ष में श्री संजीत कुमार दूबे, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा श्रीमती मीना देवी, आदेशपालिका, एम०आर०टी० प्रमण्डल, गया को अमर्यादित रूप से डाँट कर भगा दिया गया। उक्त संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0 प्रमंडल, गया द्वारा श्री दूबे, सहायक विद्युत अभियंता से पूछे जाने पर उनके द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0, गया के साथ अमर्यादित एवं उदण्डतापूर्ण व्यवहार किया गया। साथ ही वे लगभग 10–15 मिनट तक जोर–जोर से चिल्लाकर विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0 प्रमंडल, गया के साथ उलझते रहे। उक्त मामले के जाँचोपरांत, विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गया के पत्रांक 1234 दिनांक 17.08.2021 द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री दूबे, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा दिनांक 13.11.2020 को विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0 प्रमंडल, गया के कार्यालय कक्ष में उदण्डतापूर्ण एवं अमर्यादित व्यवहार किया गया। श्री दूबे, सहायक विद्युत अभियंता का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

श्री दूबे, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा पत्रांक 41 दिनांक 28.01.2022 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा श्रीमती मीना देवी, आदेशपालिका, एम०आर०टी० प्रमण्डल, गया एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,एम०आर०टी० प्रमण्डल, गया से दुर्व्यवहार संबंधी घटना से इन्कार किया गया। साथ ही विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, एम०आर०टी० प्रमण्डल, गया द्वारा प्रतिवेदित आरोप को निराधार बताया गया।

उक्त मामले की जाँच विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गयाजी द्वारा गठित जाँच–समिति द्वारा की गई। जाँच–समिति के समक्ष तत्समय उपस्थित गवाह, श्री अर्जुन कुमार यादव,

Arjun Singh

पत्राचार लिपिक,एम0आर0टी0, प्रमण्डल,गयाजी द्वारा उक्त घटना की पुष्टि की गई। जाँच–समिति द्वा दिनांक 13.11.2020 को विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0 प्रमंडल, गया के कार्यालय कक्ष श्री दूबे, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार संबंधी उक्त घटना घटित होने का निष्क दिया गया।

विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गयाजी द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेद तथा श्री दूबे द्वारा समर्पित जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री दूबे, सहायव विद्युत अभियंता द्वारा दिनांक 13.11.2020 को विद्युत कार्यपालक अभियंता, एम0आर0टी0 प्रमंडल, गय के कार्यालय कक्ष में किए गए दुर्व्यवहार संबंधी घटित घटना में श्री दूबे, सहायक विद्युत अभियंता क दोषी पाया गया।

अतः उक्त आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री संजीत कुमार दूबे, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01, गयाजी सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी( अवर प्रमंडल संख्या–01 आरा का जवाब असंतोषजनक पाते हुए उनके विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

तदनुसार, श्री संजीत कुमार दूबे, तदेन सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01, गयाजी सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01 आरा को निम्न दण्ड दिया जाता है:–

1. एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत संकल्प की प्रति श्री संजीत कुमार दूबे, सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01 आरा को उपलब्ध करा दी जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेश से,
ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

ज्ञापांक...../ दिनांक...../

निबंधित प्रतिलिपि– श्री संजीत कुमार दूबे, सहायक विद्युत अभियंता, एम0आर0टी0 अवर प्रमंडल संख्या–01 आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

ज्ञापांक 686 / दिनांक 18/8/26 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, पेसू क्षेत्र, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/महाप्रबंधक (राजस्व), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना /उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी (लेखा), सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/सभी उपमहाप्रबंधक/सभी उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/ डी0बी0ए0 (आई0टी0)/लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतन पर्ची)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–III, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी0बी0ए0 (आई0 टी0) से अनुरोध है कि इस संकल्प आदेश की प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

17/8/26
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

*Illuminating lives...*